इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपञ्च

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ४२९]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक २९ अक्टूबर २०२१-कार्तिक ७, शक १९४३

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 35-43-मध्यम-इकतीस.

भोपाल, दिनांक २९ अक्टूबर २०२१

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3, सन् 1931) की धारा 37 की उप-धारा (2) तथा 40 के साथ पठित उक्त अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के उपबंधो द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्मित किए गए, निर्मित किये जाने वाले शासकीय स्त्रोतों और समस्त नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोतों से सिंचाई,पेयजल एवं घरेलू प्रयोजनों,औद्योगिक,ताप विद्युत परियोजना एवं जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल के उपयोग हेतु जल दरें नियत करती है अर्थात्:-

1. कृषि प्रयोजन हेतु जलदर.-

कृषि प्रयोजनों के लिए शासकीय स्त्रोतों से प्रवाह एवं कृषक द्वारा स्वयं के साधन से उद्वहन के लिए सिंचाई की जलदरें

अनुसूची

अनुक्रमांक	फसल का नाम	जल दर
		(रूपये प्रति हेक्टर)
1	खरीफ फसल :-	
	■ धान खरीफ-(125+85x3)	380
	■ कपास (125+70x3)	335
	• हरी घास वाली फसलें, मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मक्का, मूंग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर (खरीफ), उड़द (125+50x3)	275
2	रबी फसल :-	
	■ गेह्ँ (125+75x3)	350
	■ चना(125+75x1)	200
	■ धान रबी -(125+155x3)	590

3	दलहनी एवं तिलहनी फसलें:– धनिया, मूंगफली (रबी), मूंग(रबी), सरसों, कुसुम(सेटफ्लाव), सूरज <u>म</u> ुखी (सनफ्लावर), सोयाबीन(रबी), तुअर (रबी) (125+75x3).	350
4	सब्जी फसलें:- जौ, बैगन, गाजर, फूलगोभी, मिर्च, ककड़ी, घुंइया, मेथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिण्डी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तम्बाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियां.	630
5	फलदार फसलें - केले, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	960
6	बरसीम घास (फोडर क्रॉप)	480

2. पेयजल एवं घरेलू उपयोग हेतु जलदर.-

अनुक्रमांक	विवरण	जल दर
()	निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम	अधिसूचना क्रमांक 29/31/99/म/31/83 भोपाल दिनांक 14 जनवरी 2000 से प्रभावशील शासकीय स्त्रोतों से प्रदाय पेयजल हेतु जलदर का 50% प्रतिवर्ष 1 पैसे की वृद्धि सहित.

3. औद्योगिक प्रयोजन.-

औद्योगिक प्रयोजन हेतु जलदर -

(जलदर रू. प्रति घनमीटर)

अनुक्र.	वर्गीकरण	जलदर	अभियुक्ति
अ	शासकीय स्त्रोत से यथा जलाशय, नहर, नलकूप आदि	8.00 (1 जनवरी से प्रति वर्ष 5% वृद्धि सहित)	
ब	नैसर्गिक स्त्रोत से बहाव प्रणाली व भूजल यथा नदी, झील, नलकूप या अन्य प्राकृतिक संग्रह या उद्योग द्वारा निर्मित जलाशय से.		
	(i) नैसर्गिक स्त्रोत पर स्वनिर्मित सरंचना अर्थात् बांध, खुलाकुआ, नलकूप आदि से.	3.00 (1जनवरी से प्रतिवर्ष 5% वृद्धि सहित)	भू जल स्त्रोत को नैसर्गिक स्त्रोत माना गया.
	(ii) नैसर्गिक जल स्त्रोत से सीधे जल लिया जाना	3.00 (1जनवरी से प्रतिवर्ष 5% वृद्धि सहित)	

4. ताप एवं जल विद्युत परियोजना हेतु जलदर.-

अनुक्र.	वर्गीकरण	जलदर
अ	शासकीय जल भंडारण योजनाओं यथा बांध, नहर, बैराज आदि से जल विद्युत परियोजनाओं की जनरेटिंग इकाइयों को जलप्रदाय किए जाने के लिए, जल के उपयोग के पश्चात जल की पुर्नप्राप्ति.	घण्टा) दर दिनांक 01.01.2022 से, इसके

ब	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोत अर्थात	जल विद्युत	रु. 0.20 प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट
	परियोजना से जल के उपयोग के	पश्चात जल की	घण्टा) दर दिनांक 01.01.2022 से, इसके
	पुर्नप्राप्ति		उपरान्त प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 01 पैसा
			प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घण्टा) की
			वृद्धि.

टीप:-

- पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल का उपयोग हेतु संबंधित इकाई को प्ररूप "7क" में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- 2. ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में, औद्योगिक प्रयोजन के लिये दर्शाई गई दरें लागू होगी।
- 5. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत होगी।

क्र. एफ 35-43-मध्यम-इकतीस.

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 37 and 40 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931) read with the provisions of the rules framed under the said Act, the State Government, hereby, fix the water rates for the use of water for irrigation, drinking and domestic purposes, industries, thermal power projects and Hydel projects from various constructed, to be constructed government resources and natural/self-made resources as under:-

Water Rate for Agricultural purposes.-

Water rates for irrigation from Government sources for agricultural purposes and levied by the farmer by his own means.

S.No.	Name of Crop	Water rate (Rs. Per Hectare)
1,	Crop Kharif:-	
	Paddy Kharif – (125+85x3)	380
	• Cotton (125+70x3)	335
	Green fodder crops, Groundnut (Kharif), Jowar, Maiz, Moong (Kharif), Soyabean (Kharif), Till, Tuar (Kharif), Urd-(125+50x3)	275
2.	Rabi Crop:-	
	■ Wheat (125+75x3)	350
	• Gram (125+75x1)	200
	Paddy Rabi- (125+155x3)	590
3.	Pulses and oilseed Crops:- Coriander, Groundnut (Rabi), Moong (Rabi), Mustard, Satflower, Sunflower, Soyabean (Rabi), Tuar (Rabi) (125+75x3)	350
4.	Vegetable Crop:- Barley, Bringal, Carrot, Cauliflower, Chilli, Cucumber, Dalocasia, Fenugreek, Ginger, Garlic, Gwarphali, Ladiesfinger Mulberry, Pea, poppyseed, Pumpkin, Potato, radish, Spinach, Tobacco, Tomato, Turmeric, Watermelon, Green Vegetables	630

		0.60
5	Fruit Crops:-	960
J.	Bananas, Beetel, Garden crops, Rubber	
	plants, Sugarcane	400
6	Barseem grass (fodder crop)	480

2. Water rate for drinking and domestic use.-

S.No.	Description	Water rate
(1)	Water supply to Municipal Corporation/Municipality/Nagar Panchayat/Gram Panchayat/Public Health Engineering Department for domestic use and drinking	50% of the water rate applicable as per the notification No. 29/31/99/M/31/83 Bhopal dated 14, January, 2000 with an increase of 1 paise per annum.

3. Industrial Purpose.-

Water rate for industrial purpose:-

(Water rate Rs. per cubic metre)

S.No.	Classification	Water rate	Remark
A	From Government Sources	8.00 (with 5%)	
11	Such as Reservoir, Canal,	increase per annum	
	Tube well etc.	from 1st January)	
В	Flow system and ground		
	water from natural		
	resources	5	
	e.g. River, Lake, Tube well or		
	other Natural storage or the		
	Reservoir constructed by	-	
	industry.	7.00	Custond
	(I) from the self-made	0.00	Ground
	structure on natural	increase per annum	water
	resources e.g. Dam, Open	from 1st January)	source
	well, Tube well etc.		considered
	(II) Direct drawal from	3.00 (with 5%	
	natural resources.	increase per annum	resources
		from 1st January)	

4. Water rate for Thermal and Hydel Power Project:-

S.No.	Classification	Water rate
A	Recovery of water after use of	
	water from government water	
	storage schemes such as dams,	from 01.01.2022, thereafter
	canals, barrages etc. for water	increase by 02 paise per
	supplied to the generating units	power unit (per kilowatt
	of hydro power projects.	hour) every year from 1st
9		January.
В	Water recovery after use of water	Rs. 0.20 per power unit
	from natural/self-generated	(per kilowatt hour) rate
	source eg hydroelectric project.	from 01.01.2022, thereafter
		increase by 01 paise per
		power unit (per kilowatt
	* ×	hour) every year from
		1 st January.

Note:

- 1. For use of water for drinking and industrial purposes, the concerned unit shall have to execute the agreement in Form "7A".
- 2. In case of thermal power projects, the rates indicated for industrial purpose shall be applicable.
- 5. This notification shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette.

क्रमांक एफ 35—43—मध्यम—31.—मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3, सन् 1931) की धारा 64 के अधीन पुनरीक्षित कार्यकारी अनुदेश.

(Revised Executive Instructions)

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 अक्टूबर 2001 को प्रकाशित पुनरीक्षित कार्यकारी अनुदेश क्रमांक पीसी 32—10—96—म—इकतीस—943—मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3, सन् 1931) की धारा 64 के अधीन निम्नानुसार संशोधन स्थापित किया जाता है :—

कण्डिका क्रमांक 2(स) (1)

प्रथम वर्ष में पट्टे पर दी जानी वाली भूमि की दर रुपये 1,000/- प्रति एकड़ से कम नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही.एस. टेकाम, उपसचिव.